//1// दाण्डिक प्रकरण कमांक—211/10 Filling number 235103001472010

<u>न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी</u> <u>जिला अशोकनगर म०प्र0</u>

दाण्डिक प्रकरण कमांक—211/10 संस्थित दिनांक— 15.06.2010 Filling number 235103001472010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

....अभियोजन

विरुद्ध

1. सियाराम पुत्र पहलवान जाति रजक उम्र 39 साल निवासी— ग्राम चुरारी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0आरोपी

ः : निर्णय : :

(आज दिनांक — 31.08.2017 को घोषित किया गया)

- 01. अभियुक्त सियाराम के विरूद्ध धारा 279, 336 भा0द0वि0 एवं 39/192, 66/192 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 24.04.2010 को 18:45 बजे बोर्ड कॉलोनी के सामने चंदेरी पिछोर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क0 एमपी08 डी 1461 जीप को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त जीप की छप पर 10 सवारी पीछे बोनट व पायदान पर सवारियां कुल 40 लटकाकर दूसरों का जीवन संकटपन्न किया एवं उक्त जीप क0 एमपी08 डी 1461 को बिना रिजस्ट्री चालान प्रमाण पत्र के सार्वजनिक स्थान पर चलाकर धारा 39 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन किया तथा मानव जीवन को बिना परिमट के चालान के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के उपबंधों का उल्लंघन किया।
- 02. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि प्रधान आरक्षक राजेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 24.04.2010 को कस्बा भ्रमण बोर्ड कॉलोनी के पास चंदेरी में जहां पर चंदेरी तरफ से एक जीप महिन्द्रा क्रमांक एमपी08 डी 1461 का चालक साियाराम बरेठा जीप की छतपर लगभग 10 सवारी व पीछे बोनट व पायदानो पर सवारी लटकाये हुए थे कुल 40 सवारी बैठाये लापरवाही व तेजी से चंदेरी से बामौर तरफ जा रहा था, जिससे जीप में बैठे व्यक्तियों का जीवन, संकटापन्न स्थिति में था। जीप को रोका कागजात मांगे तो परमिट भी न होना पाया गया आरोपी सियाराम का उक्त कृत्य धारा 279,

//2// दाण्डिक प्रकरण कमांक—211/10 Filling number 235103001472010

336 भा0द0वि0 एवं 39 / 192, 66 / 192 मोटरयान अधिनियम के तहत दण्डनीय पाया गया। साक्षी रामपाल यादव एवं जहूर खांन के समक्ष आरोपी से फोटो रिजटेशन, बीमा, चालक लायसेंस जप्त किये व आरोपी को गिरफ्तार किया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जीप को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 03. अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 04. न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त सियाराम के द्वारा दिनांक 24.04.2010 को 18:45 बजे बोर्ड कॉलोनी के सामने चंदेरी पिछोर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क0 एमपी08 डी 1461 जीप को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
 - 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर उक्त जीप की छप पर 10 सवारी पीछे बोनट व पायदान पर सवारियां कुल 40 लटकाकर दूसरो का जीवन संकटपन्न किया ?
 - 3. क्या उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर उक्त जीप क0 एमपी08 डी 1461 को बिना रजिस्ट्री चालान प्रमाण पत्र के सार्वजनिक स्थान पर चलाकर धारा 39 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन किया ?
 - 4. क्या उक्त घटना, दिनांक समय व स्थान पर मानव जीवन को बिना परिमट के चालान के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

//विचारणीय प्रश्न क. 1 व 3//

05— विचारणीय प्रश्न क. 1 व 3 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। जंगबहादुर सिह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताय कि वह दिनांक 24.04.2010 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह गस्त के दौरान बोर्ड कॉलोनी के पीछे चंदेरी तरफ गया था, जहां पर उसके द्वारा महिन्द्रा जीप क0 एमपी08 डी 1461 को रोका था। जहूर शाह अ0सा01, रामपाल सिह अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनो में साक्षी जहूर शाह द्वारा आरोपी सियाराम को न जानना व्यक्त किया तथा साक्षी रामपाल सिह ने आरोपी सियाराम

को जानना व पहचाना व्यक्त किया। उक्त दोनो साक्षी जहूर शाह और रामपाल सिंह ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि जप्तशुदा वाहन का चालक सियाराम जीप क0 एमपी08 डी 1461 को तेजी व लापरवाही से चलाकर ले जा रहा था।

06— जंगबहादुर सिंह अ०सा०२ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में व्यक्त किया कि जब उसके द्वारा आरोपी से वाहन के कागज मांगे तब आरोपी रिजस्ट्रेशन, बिना व ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया था तथा बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि जब आरोपी से साक्षी ने कागज मांगे तब आरोपी ने परिमट भी पेश किया था, इसके अलावा वनवारी लाल सेन अ०सा०४ ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि जब दीवान जी ने जीप चालक से वाहन चालन की अनुष्डिति मांगी और गांडी से संबंधित दस्तावेज दे दिये गये थे, इसके अलावा जहूर शाह अ०सा०1, रामपाल सिंह अ०सा०3 ने जप्ती पत्रक प्र.पी.1 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, किन्तु उक्त जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष होने से इंकार किया। साक्षी जंगबहादुर सिंह अ०सा०2 ने भी उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी ने बीमा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी वाहन का रिजस्ट्रेशन पेश किया था तथा प्रकरण का अवलोकन करने से भी दर्शित है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.1 में जीप क० एमपी०8 डी 1461 के रिजस्ट्रेशन की छायाप्रति जप्त कर जप्ती पचनामा बनाया गया था तथा प्रकरण में भी जप्तशुदा वाहन तथा रिजस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

07— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन की ओर से ऐसी कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह दर्शित हो की आरोपी सियाराम जप्तशुदा वाहन क0 एमपी08 डी 1461 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मानव जीवन संकटापन्न किया, इसके अतिरिक्त प्रकरण में संलग्न जप्तशुदा जीप क0 एमपी08 डी 1461 का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति भी प्रकरण में संलग्न होने से अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न क. 2 व 4//

08— विचारणीय प्रश्न क. 2 व 4 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। जंगहादुर सिह अ0सा02 उसके कथनों में बताया कि महिन्द्रा जीप क0 एमपी08 डी 1461 का चालक गाड़ी में 40 सवारी जो कि क्षमता से अधिक बैठाकर चंदेरी से बामौर तरफ

जा रहा था तथा जीप में सवारी छत पर व साईड में बैठी हुई थी, जिससे मानव जीवन संकटापन्न होने की स्थिति थी। वाहन को रोककर चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम सियाराम होना बताया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी से मौके पर पूरानी जीप कमांडर महिन्द्रा जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जो प्र.पी.1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है और आरोपी को गिरफतार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर

09— वनवारी लाल सेन अ0सा04 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना दिनांक को वह, जंगबहादुर, प्र0 आरक्षक राजेन्द्र कुमार के साथ कस्बा गस्त पर था और जंगबहादूर वाहन चैकिंग कर रहे थे। वाहन चैकिंग के दौरान दीवान जी ने एक जीप को रोका जिसमें 30-40 सवारियां थी। उक्त जीप पर कुछ सवारी उपर थी, कुछ अन्दर थी और कुछ बोनट पर लटकी थी। आरोपी से दीवान जी जंगबहादुर सिंह ने गाडी से संबंधित दस्तावेज मागे जो आरोपी द्वारा दिये गये थे, किन्तु उसमें आरोपी के पास सवारी बैठाने का लाइसेंस नहीं था। राजेन्द्र सिंह अ०सा०५ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 24.04.2010 को प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसे अ०क० 129 / 10 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने साक्षी रामपाल, जहूर, एवं बनवारी लाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। यद्यपि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी एवं जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी जहूर शाह अ०सा०1 एवं रामपाल अ०सा०2 द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन को उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

10- जगबहादुर सिंह अ०सा०२ ने उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि थाने में गाडियों की जरूरत होने के कारण वाहन को लेने गया था और आरोपी से गाडी मांगने पर सेठ से बात करने और गाडी में कोई सवारी न होने के सुझाब से स्पष्टतः इंकार किया है। वनवारी लाल सेन अ०सा०४ ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया है कि जप्तशुदा वाहन मे कोई सवारी नहीं थी। इस बात से भी इंकार किया है कि यदि आरोपी सियाराम गाडी दे देता तो उसके विरूद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं करते। इस प्रकार अभियोजन साक्षी जंगबहादूर सिंह अ०सा०२, बनवारी लाल सेन अ०सा०४ के कथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डनीय रहे है कि जप्तशुदा वाहन में 40 सवारियां लटकाकर दुसरो का जीवन आरोपी द्वार संकटापन्न किया इसके अलावा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का घटना दिनांक को परमिट था। उक्त तथ्य विशेष तथ्य होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार साबित करने का भार आरोपी पर था। आरोपी द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह दर्शित हो कि घटना दिनांक को जप्तशुदा वाहन का वैध परमिट था।

//5// दाण्डिक प्रकरण कमांक—211/10 Filling number 235103001472010

- 11- उपरोक्त सम्पूर्ण विशलेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त सियाराम के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39 / 192 प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त सियाराम को भा0द0स0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु अभियोजन अभियुक्त सियाराम के विरूद्ध भा०द०स० की धारा 336 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66 / 192 क के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त सियाराम के द्वारा दिनांक 24.04.2010 को 18:45 बजे बोर्ड कॉलोनी के सामने चंदेरी पिछोर रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क0 एमपी08 डी 1461 जीप की छप पर 10 सवारी पीछे बोनट व पायदान पर सवारियां कुल 40 लटकाकर दूसरो का जीवन संकटपन्न किया तथा मानव जीवन को बिना परिमट के चालान के मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 के उपबंधो का उल्लंघन किया। अतः आरोपी सियाराम को भा०द०स० की धारा 336 के आरोप में 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का सश्रम कारावास भूगताया जावे एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 / 192 के अन्तर्गत 2000 / - रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 2 माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
- 12. प्रकरण में जप्तसुदा जीप क्0 एमपी08 डी 1461 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 13— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 14- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 //6// दाण्डिक प्रकरण कमांक—211/10 Filling number 235103001472010